मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 445/2023 "सतीश चन्द्र शर्मा बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" में पारित आदेश दिनांक 06.07.2023 के अनुपालन में दिनांक 08.08.2023 को संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण की आख्या–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 445/2023 "सतीश चन्द्र शर्मा बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" में दिनांक 06.07.2023 को पारित मुख्य आदेश निम्नवत् है–

"...............Grievance in this application is against operation of a Polythene printing factory in residential area at Jagdish Vihar Colony, RajenderNagar, Bareilly, Uttar Pradesh, resulting in air pollution with potential for causing diseases like asthma and cancer. The factory is operated by Mayank Khanna s/o Ashok Khanna in House No. 5, Rajender Nagar, Bareilly, Uttar Pradesh. Toxic fumes are released from the factory polluting the environment. No action has been taken inspite of approaching the District Magistrate, the Regional Office of State PCB and Commissioner, Municipal Corporation, Bareilly. State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

2. In view of above, we consider it necessary to require independent verification of facts by a joint Committee of State PCB and District Magistrate, Bareilly after visiting site and interacting with stakeholders and to furnish a factual and action taken report in the matter within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF

List for further consideration on 10.10.2023............"

उक्त आदेश का समयबद्ध अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली के पत्रांक 447/ओ0ए0 सं0 445/2023 दिनांक 20.07.2023 के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट, बरेली, सी0ओ0 सिटी, बरेली, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली तथा पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, बरेली की संयुक्त समिति का गठन किया गया **(छायाप्रति संलग्न–1)**।

संदर्भित वाद में मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली के पत्रांक 447/ओ0ए0 सं0 445/2023 दिनांक 20.07.2023 से प्राप्त निर्देश के कम में संदर्भित इकाई मैसर्स खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–75, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर, बरेली का संयुक्त निरीक्षण सिटी मजिस्ट्रेट, बरेली की अध्यक्षता में संयुक्त समिति द्वारा इकाई प्रतिनिधि श्री मंयक खन्ना की उपस्थिति में दिनांक–08.08.2023 एवं दिनांक–11.08.2023 को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. मैसर्स खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–75, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर, बरेली के आवासीय क्षेत्र में स्थापित व संचालित थी।
2. उपरोक्त इकाई के विरूद्ध आई0जी0आर0एस0 पोर्टल एवं विभिन्न शिकायती पोर्टल के माध्यम से श्री सतीश चन्द्र, निवासी डी–75/ए, जगदीश बिहार, राजेन्द्र नगर, बरेली के शिकायती पत्र क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राप्त हुये। उक्त शिकायतो के निराकरण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विगत में दिनांक 07.12.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार इकाई द्वारा आवासीय परिसर में पैकेजिंग मैटेरियल प्रिन्टिंग का कार्य किये जाने के दृष्टिगत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र सं0 93650/सी–7/प्लास्टिक–66/ का0ब0नो0/23 दिनांक 16.05.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया **(छायाप्रति संलग्नक–2)**। जिसकी एक प्रति इकाई स्वामी को दिनांक 17.05.2023 को हस्तगत करा दी गयी। बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के कम में इकाई प्रतिनिधि द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 29.05.2023 राज्य बोर्ड को प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन संतोषजनक न पाये जाने की दशा में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एच 97212/सी–7/प्लास्टिक–66/2023 दिनांक 10.07.2023 द्वारा इकाई को बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है **(छायाप्रति संलग्नक–3)**।

3. उक्त बन्दी आदेश के अनुपान में इकाई प्रतिनिधि द्वारा इकाई में स्थापित प्रिन्टिंग मशीनों आदि को हटाये जाने एवं उत्पादन कार्य बन्द किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र दिनांक 13.07.2023 इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है **(छायाप्रति संलग्नक–4)**।
4. संयुक्त निरीक्षण के समय इकाई मैसर्स खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–75, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर, बरेली में पूर्व में स्थापित प्रिन्टिग, कटिंग आदि कोई भी मशीन स्थापित नहीं पायी गयी एवं शिकायती स्थल पर कोई भी औद्योगिक गतिविधियां संचालित नहीं पायी गयी। मौके पर शिकायतकर्ता श्री सतीश चन्द्र शर्मा, निवासी डी–75, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर, बरेली उपस्थित हुये तथा वर्तमान में इकाई में स्थापित मशीनों को डिस्मेण्टल कर हटाये जाने की पुष्टि की गयी। संयुक्त निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् है–

उपरोक्तानुसार पूर्व में स्थापित मैसर्स खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–75, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर, बरेली के परिसर में किसी भी तरह की औद्योगिक गतिविधि तथा मशीनरी स्थापित नहीं पायी गयी। संयुक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(जितेन्द्र लाल)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड
बरेली।

(राजीव कुमार राठी)
पर्यावरण अभियन्ता
नगर निगम
बरेली

(रोहित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड
बरेली

(श्वेता यादव)
सी0ओ0 सिटी
बरेली

(रेनू सिंह)
सिटी मजिस्ट्रेट
बरेली

कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली

पत्रांक 447 / ओ0ए0 सं0 445/2023 दिनांक 20/7/23

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 445/2023 ''सतीश चन्द्र शर्मा बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड'' में पारित आदेश दिनांक 06.07.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

"...............Grievance in this application is against operation of a Polythene printing factory in residential area at Jagdish Vihar Colony, RajenderNagar, Bareilly, Uttar Pradesh, resulting in air pollution with potential for causing diseases like asthma and cancer. The factory is operated by Mayank Khanna s/o Ashok Khanna in House No. 5, Rajender Nagar, Bareilly, Uttar Pradesh. Toxic fumes are released from the factory polluting the environment. No action has been taken inspite of approaching the District Magistrate, the Regional Office of State PCB and Commissioner, Municipal Corporation, Bareilly. State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

2. In view of above, we consider it necessary to require independent verification of facts by a joint Committee of State PCB and District Magistrate, Bareilly after visiting site and interacting with stakeholders and to furnish a factual and action taken report in the matter within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF

List for further consideration on 10.10.2023............"

उपरोक्त आदेश का समयबद्ध अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है।–

1. सिटी मजिस्ट्रेट, बरेली।
2. सी0ओ0 सिटी, बरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।
4. पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, बरेली।

संयुक्त समिति उक्त वाद में पारित आदेशों के अनुसार संदर्भित इकाई मैसर्स खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–75, जगदीश बिहार, राजेन्द्र नगर, बरेली का संयुक्त निरीक्षण एवं यथा आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करते हुये रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ई–मेल judicial-ngt@gov.in में दिनांक 06.09.2023 तक (वाद में पारित आदेश के दो माह के अन्दर) प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा की गयी कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

(शिवाकांत द्विवेदी)
जिलाधिकारी
बरेली
O/C

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित–

1. सिटी मजिस्ट्रेट, बरेली।
2. सी0ओ0 सिटी, बरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को इस निर्देश के साथ कि समस्त नामित सदस्यों से समन्वय स्थापित कर, निर्धारित समयानुसार रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की ई–मेल judicial-ngt@gov.in में अपलोड किया जाना सुनिश्चत करेंगे।
4. पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, बरेली।

(शिवाकांत द्विवेदी)
जिलाधिकारी
बरेली
O/C

6/7/23 Time 12.00 PM

Latter with pad I I I I I I

संलग्नक-2

N 93650 /डी-7/कारण बताओ नोटिस-66/[illegible]/23 दि० 16/5/23

सेवा में,

मै० खन्ना पॉली प्रिन्टर्स,
डी–75, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर,
बरेली।

यह कि इकाई मै० खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–76, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर, बरेली द्वारा पैकिंग मैटेरियल प्रिन्टिंग का कार्य किया जाता है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई मै० खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–76, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर, बरेली द्वारा आवासीय परिसर में पॉलीथीन प्रिन्टिंग के संचालन के संबंध में शिकायत प्राप्त है। उक्त के क्रम में मै० खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–75, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर, बरेली का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली के अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.12.2022 को किया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई द्वारा आवासीय क्षेत्र में पैकेजिंग मैटेरियल की प्रिन्टिंग का कार्य किया जाता पाया गया। आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन रोके जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली के पत्र दिनांक 16.12.2022 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, आवास विकास परिषद, बरेली को मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश दिनांक 10.11.2003 के अनुपालन में उक्त प्रिन्टिंग फैक्ट्री का संचालन रोके जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 22.03.2023 को पुनः क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली के अधिकारियों द्वारा उक्त इकाई का निरीक्षण किया गया तथा आख्या जिलाधिकारी, बरेली को प्रेषित किया गया। उक्त प्रश्नगत इकाई का अद्यतन निरीक्षण दिनांक 03.04.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली के अधिकारियों द्वारा किया गया जिसमें इकाई संचालित पायी गयी तथा पैकिंग मैटेरियल प्रिन्टिंग का कार्य आवासीय क्षेत्र में होता पाया गया। इकाई द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से मै० खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–75, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर, बरेली के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं :–

1. यह कि क्यों न इकाई मै० खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–75, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर, बरेली के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाए कि इकाई मै० खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–75, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर, बरेली को मिलने वाले जल एवं बिजली की समस्त सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएं।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन में प्रस्तुत करें। संतोषजनक उत्तर निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्देश की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई का होगा।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बरेली।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्ल्यूएमजी–1 एवं 2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त कारण बताओ नोटिस को आई०एम०एस० पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई को प्राप्त कराते हुए आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

Rec'd
Mayank
Mayank Khanna
17/5/23

संलग्नक-3

H97212 / सी-7/प्लास्टिक-66/2023 दि० 10-7-23

सेवा में,

मै0 खन्ना पॉली प्रिन्टर्स,
डी–75, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर,
बरेली।

यह कि इकाई मै0 खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–75, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर, बरेली द्वारा पैकिंग मैटरियल प्रिन्टिग का कार्य किया जाता है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई मै0 खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–75, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर, बरेली द्वारा आवासीय परिसर में पॉलीथीन प्रिन्टिंग के संचालन के संबंध में प्राप्त शिकायत के क्रम में इकाई के विरूद्ध बोर्ड के पत्र सं0–93650/सी–7/प्लास्टिक–66/का0व0नो0/23 दिनांक 16.05.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इकाई द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन दिनांक 29.05.2023 प्रेषित किया गया। उक्त प्रत्यावेदन के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली के अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.06.2023 को किये गये निरीक्षण में पाया गया कि इकाई आवासी क्षेत्र में प्लास्टिक पैकिंग मैटरियल प्रिन्टिग का कार्य करते हुए उत्पादनरत् है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड को प्राप्त प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से मै0 खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–75, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर, बरेली के विरूद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 16.05.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत मै0 खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–75, जगदीश बिहार, राजेन्द्र नगर, बरेली के विरूद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं :–

1. यह कि मै0 खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–75, जगदीश बिहार, राजेन्द्र नगर, बरेली के समस्त औद्योगिक प्रक्रियाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै0 खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी–75, जगदीश विहार, राजेन्द्र नगर, बरेली को मिलने वाले जल एवं बिजली की समस्त सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बरेली।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लूएमडी–1 एवं 2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त बन्दी आदेश को आई0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति इकाई को प्राप्त कराते हुए आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

o/c

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP58855292632195V
Certificate Issued Date	: 13-Jul-2023 03:08 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14338504/ BAREILLY SADAR/ UP-BLY
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP14338504128107711158721V
Purchased by	: MAYANK KHANNA
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: MAYANK KHANNA
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: MAYANK KHANNA
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 10 (Ten only)

SUNIL KESHWANI BAREILLY SADAR ACC Code : UP14338504

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

NOTARY Narendra B. Gangwar Advocate & Notary BAREILLY (U.P.) Regd. No. 1586 GOVERNMENT OF INDIA

समक्षः— सक्षम अधिकारी, बरेली।

शपथपत्र

मैं मयंक खन्ना पुत्र स्व0 श्री अशोक खन्ना प्रो0 निवासी — सी0 5 जगदीश बिहार राजेन्द्र नगर जिला बरेली का रहने वाला हूँ। शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ

1— यह कि शपथकर्ता को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ का पत्र सं0—एच—97212/ सी—7/प्लास्टिक—66/2023, दिनांक 10—07—2023 प्राप्त हुआ जिसका सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से हमारे मै0 खन्ना पॉली प्रिन्टर्स, डी—75, जगदीश बिहार, राजेन्द्र नगर, बरेली को बन्दी आदेश जारी किये गये हैं।

क्रमशः— 2

Mayank

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

—2—

2— यह कि शपथकर्ता द्वारा उक्त सम्बन्ध में हो रही कार्यवाही के अनुपालन में शपथकर्ता द्वारा कारोबार में हो रहे प्रिन्टिंग का कार्य पूर्व में ही पूर्ण रूप से बन्द किया जा चुका है, साथ ही प्रिन्टिंग से सम्बन्धित समस्त सभी मशीनों को हटा दिया गया है व उक्त पते पर प्रार्थी का परिवार निवास कर रहा है।

3— यह कि शपथकर्ता का शपथ पत्र प्रार्थना पत्र का अंग बनाया जाता है व उसके साथ पढ़ा जावे।

ह0 ....

उपरोक्त मद 1 लगायत् 3 मेरी निजी जानकारी में सही व सत्य है। कुछ झूठ नही है। न ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करें। तस्दीक आज दिनॉक 13/07/2023 को बरेली कचहरी में की गई।

ह0 ....

AMARDEEP SAXENA
Advocate
Enrollment No. 7200/13
C.O.P. No. 199785 of 2021
Mob. No. 9458403007
Off.-Civil Court Bangalia, Bareilly

NOTARY
Narendra B. Gangwar
Advocate & Notary
BAREILLY (U.P.)
Reg No
GOVERNMENT OF INDIA

...identified by Shri ... sworned at ... the contents of the affidavit in ... presnce at ... Date 13/7/2023 ... further understood contents

Narender Babu Gangwar
Advocate & Notary
Bareilly U.P. India